फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी गुढ़ामालानी

(1) [illegible] पुत्र [illegible] (2) [illegible] बनाम (1) [illegible] पुत्र [illegible] (2) [illegible]
[illegible] जाति जाट नि. [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible]
[illegible] गुढ़ामालानी (5) [illegible] (6) [illegible]
(8) [illegible] (7) [illegible] गुढ़ामालानी
नि. [illegible]
त. गुढ़ामालानी

किस्म मुकदमा राजस्व वाद .... अधि. मुकदमा नम्बर ....151...../15.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-11-15	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जगदीश बिश्नोई ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 90, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू0-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 7-12-15 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर गुढ़ामालानी	
7/12/15	वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण के समन तामील [illegible] तामील प्राप्त नहीं। पुनः जारी हो [illegible] पत्रावली दिनांक 18/1/16 को पेश हो [signature]	
18/1/16	वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25/04/16 को पेश हो [signature]	
25/4/16	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर कोटड़ा [illegible] जोतमाल पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित पक्षकारान के मध्य प. राजीनामा पर सहमति नहीं हुई अतः मुल्तवी होकर पत्रावली दिनांक 05/08/16 को पेश हो [signature] सहायक कलक्टर SDO गुढ़ामालानी	

Signature Not Ve[rified]
Digitally signed by Ke[...]
Meena
Date: 2026.02.06 13:5[...]
Reason: SelfAttested

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत निम्नांकित [illegible] किया जा सकता है-

1. कि जहां वादकारण प्रकट नहीं करता है।
2. जहां दावा अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में अ[illegible]
3. जहां दावा कृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक [illegible] स्टाम्प पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित [illegible] द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, [illegible] किया है ऐसा करने में असफल रहता है।
4. जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद पत्र किसी विधि द्वारा वर्जित है।
5. जहां डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।
6. जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन में असमर्थ रहता है।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन एवं वकील प्रतिवादी संख्या 2 व 6 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त/निणर्यो का सम्ममान बाद अवलोकन अध्ययन एवं उक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वाद पत्र को नामंजूर करने की जो शर्ते दी गई है वहां मुख्य रूप से जहां वाद कारण प्रकट नहीं किया गया अथवा वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता हो कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है तो ऐसे वाद को वाद पत्र के अवलोकन किये जाने के पश्चात खारिज कर दिया जाना चाहिये। वादीनीगण द्वारा पैतृक भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का यह वाद पत्र पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त वाद में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं हैं, जिससे वाद कारण प्रकट नहीं होता हो अथवा वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो। इस सम्बन्ध में प्रतिपादित प्रावधानों के अनुसार वाद पत्र को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज ना कर प्रतिवादीगण का जबाव लिया जाकर तनकीयात कायम की जानी चाहियें बाद साक्ष्य सबूत के प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये, ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 2 व 6 की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान वादीनी के वाद पत्र पर लागू नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावाली वास्ते जबाव प्रतिवादीगण दिनांक 17.10.2022 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर, [illegible]

17/10/22 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। वकील प्रतिवादी जवाब हेतु एक और मौका चाहते हैं। मौका [illegible] पत्रावली दि० 21/11/22 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर
SDO (गुडामालानी)

21/11/22 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। वकील प्रतिवादी जवाब हेतु एक और अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 23.01.2023 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर गुडामालानी

[illegible] पत्रावली [illegible] होने के [illegible] क्रमांक 1250 [illegible] द्वारा [illegible] [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:52:27 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुसन्ना आज दिनांक को पेश हुआ। अधिवक्ता वादीगण। प्रतिवादीगण उपस्थित। मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर प्रेषित की हुई है जो अभी तक पुनः प्राप्त नहीं हुई है। अतः मुसन्ना आगामी दिनांक 25.11.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/11/24	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 29/1/25 को पेश हो	
29.01.25	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 12.03.25 को पेश हो	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:52:27 IST
Reason: SelfAttested